



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-409/NH-547E/Water/2024-25/ 1914

Date: 11.12.2024

Invitation of Public Comments

Sub: 4 laning of Saoner-Dhapewada-Kalmeshwar-Gondkhairi section of NH-547E package-II from km 4.700 to km 33.575 in the State of Maharashtra on EPC Mode -Proposal for laying Water supply pipeline across the road on NH-547E under Kalmeshwar - Bramni Water Supply Scheme, Tal. Kalmeshwar, Dist-Nagpur-Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Nagpur letter no. 3894 dated 02.12.2024.
2. SDE, MJP Sub-Division No.1 Nagpur letter no. 219 dated 04.09.2024.

It is to inform all concerned that M/s MJP Nagpur letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that M/s MJP, Nagpur for subject section is as follows:
 - Crossing at km 21.230.
3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience safety and general public interest).
4. In view of the above, the comments / objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 28.01.2016 due to above utility on the subject stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments / objections will be accepted.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra
Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org


(Akash Chouksey)
Manager (Tech.)

Copy to:

1. Web Admin., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/यूटी-409/एनएच-547ई/जल/2024-25/ 1914

तारीख: 11.12.2024

सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित

विषय: ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-547ई पैकेज-II के सावनेर-धापेवाड़ा-कलमेश्वर-गोंडखैरी खंड को किमी 4.700 से किमी 33.575 तक 4 लेन का बनाना - कलमेश्वर के तहत एनएच-547ई पर सड़क के पार जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव -बामनी जलापूर्ति योजना, ताल। कलमेश्वर, जिला-नागपुर.

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू नागपुर पत्र क्र. 3894 दिनांक 02.12.2024.
2. एसडीई, एमजेपी सब-डिवीजन क्रमांक 1 नागपुर पत्र क्र. 219 दिनांक 04.09.2024.

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमजेपी नागपुर ने संदर्भाधीन पत्र (2) के माध्यम से विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए संदर्भाधीन पत्र (1) के माध्यम से उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है। / राजमार्ग प्रशासक।

2. विषय अनुभाग के लिए मेसर्स एमजेपी, नागपुर द्वारा प्रस्तावित संरक्षण इस प्रकार है:

- किमी 21.230 पर पार करना।

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एस एंड आर (आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। आपतियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर)।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विषय विस्तार पर उपरोक्त उपयोगिता के कारण मंत्रालय के दिनांक 28.01.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपतियाँ आमंत्रित की जाती हैं। सार्वजनिक टिप्पणियाँ जारी होने के 30 दिनों के भीतर आपतियाँ/टिप्पणियाँ नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपति स्वीकार नहीं की जाएगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर", तीसरी मंजिल,

उप कार्यालय के सामने। पुलिस आयुक्त यातायात (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

टेलीफोन: 0712-2520091 ईमेल: ronagpur@nhai.org

Alka

(आकाश चौकसे)

प्रबंधक (तकनीकी)

कॉपी में:

1. वेब एडमिन., एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली- एनएचएआई की वेबसाइट [web-admin@nhai.org] पर अपलोड करने के लिए
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट [mansoor@nic.in] पर अपलोड करने हेतु

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

Head Office : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075